न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 284/2021 तारीख रजू:— 13.07.2021

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. आरिफ अली पुत्र स्व0 अख्तर अली
2. ताहिर अली पुत्र स्व0 अख्तर अली
3. सोनूअली पुत्र स्व0 मुन्ना अली
4. संजिदा बेवा मुन्ना अली
5. शबनम पुत्री स्व0 मुन्ना अली
6. सोनी पुत्री स्व0 मुन्ना अली
7. किन्नो पुत्र स्व0 मुन्ना अली
8. नौसी बेवा फारूक अली
9. लादेन पुत्र स्व0 फारूक अली नाबालिग जरिये माता नौसी
10. शहजाद पुत्र मकसूद अली
11. राजा पुत्र मकसूद अली
12. नजमा बेवा जुम्मा
13. साजिद अली पुत्र स्व0 जुम्मा

समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ जिला करौली—सायलान

बनाम

1. अनवर अली पुत्र अलीराजा
2. जुल्फिकार अली पुत्र अलीराजा
3. सरवर अली पुत्र अलीराजा

जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान।

4. जैनब पुत्री अलीराजा पत्नि कल्ला जाति मुसलमान निवासी हाडौली हालनिवासी मटिया महल हिण्डौन जिला करौली राजस्थान।
5. सब रजिस्टार सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री संजय शर्मा एडवोकेट सायलान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निर्णय
दिनांक :— 10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने उपरोक्त उनवानी दावा बाबत तकास्मा स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में गैरसायलान के विरूद्ध पेश कर दिया है जो काफी मजबूत है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी आशा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि कृषि भूमि मुताबिक हाल जमाबन्दी संवत 2077 से स्थायी (सभी) खाता संख्या नया 136 खसरा नम्बर 1226 रकबा 1.00 हेक्टेयर चाही—2, खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.90 हेक्टेयर चाही—2, खसरा नम्बर 1256 रकबा 0.90 हेक्टेयर चाही—2 तथा खाता संख्या नया 135 खसरा नम्बर 1212 रकबा 1.75 हेक्टेयर बारानी—2, खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.45 हेक्टेयर चाही—2 तथा खाता संख्या नया 137 खसरा नम्बर 1167 रकबा 0.71 हेक्टेयर चाही—1, खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.02 गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 1231 रकबा 0.35 हेक्टेयर बारानी—1, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.50 हेक्टेयर चाही—2, खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.01 हेक्टेयर गै0 मु0 बोरिंग, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.12 हेक्टेयर चाही—1, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.08 हेक्टेयर नहरी—1, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.40 हेक्टेयर नहरी—1, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.33 हेक्टेयर नहरी—1, वाके ग्राम हाड़ौली पटवार हल्का चिनायटा तहसील सूरोठ जिला करौली राजस्थान में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र के सायलान व गैरसायलान रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं उपरोक्त भूमियों सायलान व गैरसायलान की सह—खातेदारी की आराजी है। चूंकि अभी तक उपरोक्त भूमियों का कानूनी तौर पर विधिवत विभाजन नहीं हुआ है हिस्सेअनुसार सायलान व गैरसायलान काबिज आराजी हैं। इसलिये प्रथम दृष्टया केस सायलान का बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि रिकोर्डेड खातेदार रब्बन फौत हो चुका है उसके विधिक वारिसान सायलान नम्बर 10 लगायत 13 हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 135 खसरा नम्बर 1212 रकबा 1.75 हेक्टेयर बारानी—2, खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.45 हेक्टेयर चाही—2 वाके ग्राम हाड़ौली तहसील सूरौठ के कुल 2/3 भाग के जमाबन्दी के अनुसार सायलान रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनमें से सायल नम्बर 1, 2 प्रत्येक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1/12 भाग का, सायल नम्बर 3 ता 7 प्रत्येक 1/60 भाग का, सायल नम्बर 8, 9 प्रत्येक 1/24 भाग का तथा सायल नम्बर 10, 11 प्रत्येक 1/12 भाग का तथा सायल नम्बर 12, 13 प्रत्येक 1/24 भाग का तथा मृतक खातेदार रब्बन के हिस्से पर सायल नम्बर 10 ता 13 कुल 1/12 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। शेष भूमि 1/3 भाग के प्रतिवादी नम्बर 4, 5 (वादपत्र) रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनमें से गैरसायल नम्बर 4 1/15 भाग की तथा प्रतिवादी नम्बर 5 (वादपत्र) 4/15 भाग का खातेदार काश्तकार हैं। गैरसायल नम्बर 6 जैनब तथा सायलान नम्बर 10 ता 13 तथा खातेदार रब्बन ने अपना हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 6 (वादपत्र) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिण्डौनसिटी में रहन रख रखा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि कषि भूमि खाता संख्या नया 136 खसरा नम्बर 1226 रकबा 1.00 हेक्टेयर चाही–2, खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.90 हेक्टेयर चाही–2, खसरा नम्बर 1256 रकबा 0.90 हेक्टेयर चाही–2 के कुल 2/3 भाग के सायलान रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनमें से सायल नम्बर 1, 2 प्रत्येक 1/12 भाग का, सायल नम्बर 3 ता 7 प्रत्येक 1/60 भाग का, सायल नम्बर 8, 9 प्रत्येक 1/24 भाग का, सायल नम्बर 10, 11 प्रत्येक 1/12 भाग का, सायल नम्बर 12, 13 प्रत्येक 1/24 भाग का तथा मृतक खातेदार रब्बन के हिस्से पर सायल नम्बर 10 ता 13 कुल 1/12 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। शेष भूमि 1/3 भाग के गैरसायल संख्या 2 ता 4 रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनमें से गैरसायल नम्बर 2, 3 प्रत्येक 2/15 भाग का तथा गैरसायल नम्बर 4 1/15 भाग की खातेदार काश्तकार है। गैरसायल संख्या 2 ता 4 तथा सायल नम्बर 10 ता 13 तथा खातेदार रब्बन ने अपना हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 6 (वादपत्र) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सूरौठ में रहन रख रखा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 137 खसरा नम्बर 1167 रकबा 0.71 हेक्टेयर चाही–1, खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.02 हेक्टेयर गै0 मु0 चाह0, खसरा नम्बर 1231 रकबा 0.35 हेक्टेयर बारानी–1, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.50 हेक्टेयर चाही–2, खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.01 हेक्टेयर गै0 मु0 बोरिंग, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.12 हेक्टेयर चाही–1, खसरा नम्बर 66 रकबा 0.08 हेक्टेयर नहरी–1, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.40 हेक्टेयर नहरी–1, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.33 हेक्टेयर नहरी–1 के कुल 2/3 भाग के सायलान रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनमें से सायल नम्बर 1, 2 प्रत्येक 1/12 भाग का सायल नम्बर 3 ता 7 प्रत्येक 1/60 भाग का, सायल नम्बर 8, 9 प्रत्येक 1/24 भाग का, सायल नम्बर 10, 11 प्रत्येक 1/12 भाग का, सायल नम्बर 12, 13 प्रत्येक 1/24 भाग का तथा मृतक खातेदार रब्बन के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिस्से पर सायल नम्बर 10 ता 13 कुल 1/12 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। शेष भूमि 1/3 भाग के गैरसायलान रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिनमें से गैरसायल नम्बर 1 ता 3 प्रत्येक 4/45 भाग का तथा गैरसायल नम्बर 1 ता 4 ने तथा सायल संख्या 10 ता 13 तथा खातेदार रब्बन ने अपना हिस्सा गैरसायल नम्बर 6 (वादपत्र) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हिण्डौन में रहन रख रखा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि मुताबिक हिस्सेनुसार सायलान व गैरसायलान शान्तिपूर्वक पिछले कई सालों से विवादित आराजीयात पर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब सायलान व गैरसायलान के आपसी मनमुटाव हो जाने के कारण शामिल काश्त करना सम्भव नहीं है। गैरसायलान लठैत तथा उद्धंड प्रकति के व्यक्ति हैं। सायलान के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते हैं। जुमले गैरसायलान मुताबिक हिस्सेनुसार आराजी पर सायलान को काश्त नहीं करने देने तथा विवादित भूमि का बंटवारा कराये बिना रहन वय करने की धमकी देते हैं। जबरदस्ती मुताबिक हिस्सेनुसार की आराजी पर खुले आम दिनांक 09.07.2021 को धमकी भी दी है कि गैरसायलान विवादित आराजी पर मनमर्जी काश्त करेंगे व गैरसायलान सायलान को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल कर देंगे। सायलान अपने हिस्से की अराजी पर अच्छे में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन करा पाने के अधिकारी हैं। लेकिन गैरसायलान बराये बदयान्ति सायलान को उनके हिस्सेनुसार काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा बेदखल करने की धमकी देते हैं, रहन वय करने की ऐलानिया धमकी दी है। यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा सायलान के हक हकूकों पर कुठाराघात पहुंचेगा।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं क्षति का बिन्दू पूरी तरह से साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर के लिये पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से खसरा नम्बरान 1226, 1254, 1256, 1212, 1232, 1167, 1224, 1231, 1233, 1255, 552, 66, 82, 83 वाके ग्राम हाड़ौली पटवार हल्का चिनायटा तहसील सूरौठ जिला करौली सायलान के हिस्से में काश्त करने में माने मजाहमत व मदाखलत वेजा पैदा ना करे सायलान को अपने हिस्से की भूमि को शान्तिपूर्वक काश्त करते रहने देवें। सायलान को अपने हिस्से से बेदखल ना करें। गैरसायलान विवादित भूमि को वेस्ट डेमेज एण्ड एलीनेट ना करें व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बिना विधिवत बंटवारा कराये विवादित भूमि के किसी भी भाग को रहन वय ना करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायलान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। रिकोर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.02.2022 को गैरसायल सं0 1ता 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 22.04.2022 को गैरसायल सं01 ता 3 की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट ने उपस्थिति दी तथा एकतरफा मसंखूी का कोई प्रार्थना पत्र एवं बकालतनामा पेश नहीं किया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071—2074 किता 3, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान पेश किये हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071—2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1226 रकबा 1.00 है0, 1254 रकबा 0.90 है0, 1256 रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ की खातेदारी आरिफ पुत्र अख्तर हि0 1/12, किन्नो पुत्री मुन्ना हि0 1/60, जैनव पुत्री अलीराजा हि0 1/15, जुल्फकारअली पुत्र अलीराजा हि0 2/15, ताहिरअली पुत्र अख्तर हि0 1/12, नजमा पत्नि स्व0 जुम्मा हि0 1/24, नोसी पत्नि फारूक हि0 1/24, रव्वन पत्नि मकसूद हि0 1/12, राजा पुत्र मकसूद हि0 1/12, नाबालिग लादेन पुत्र फारूक संरक्षक सरपरस्त माता नोसी हि0 1/24, शहजाद पुत्र मकसूद हि0 1/12, शाजिदअली पुत्र जुम्मा हि0 1/24, संजीदा पत्नि स्व0मुन्ना हि0 1/60, सबनम पुत्री मुन्ना हि0 1/60, सरवरअली पुत्र अलीरजा हि0 2/15, सोनू अली पुत्र मुन्ना हि0 1/60, सोनी पुत्री मुन्ना हि0 1/60 जातियान मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071—2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1212 रकबा 1.75 है0, 1232 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ की खातेदारी आरिफ पुत्र अख्तर हि0 1/12, किन्नो पुत्री मुन्ना हि0 1/60, जैनव पुत्री अलीराजा हि0 1/15, ताहिरअली पुत्र अख्तर हि0 1/12, नजमा पत्नि स्व0 जुम्मा हि0 1/24, नोसी पत्नि फारूक हि0 1/24, रव्वन पत्नि मकसूद हि0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1/12, राजा पुत्र मकसूद हि0 1/12, नाबालिग लादेन पुत्र फारूक संरक्षक सरपरस्त माता नोसी हि0 1/24, शहजाद पुत्र मकसूद हि0 1/12, शाजिदअली पुत्र जुम्मा हि0 1/24, संजीदा पत्नि स्व0 मुन्ना हि0 1/60, सबनम पुत्री मुन्ना हि0 1/60, सोनू अली पुत्र मुन्ना हि0 1/60, सोनी पुत्री मुन्ना हि0 1/60 जातियान मुसलमान सा0देह खातेदार, दीपक कुमार जैन पुत्र कपूरचन्द जैन हि0 4/15 जाति जैन सा0 शेरपुर हालवासी मोहन नगर हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1167 रकबा 0.71 है0, 1224 रकबा 0.02 है0, 1231 रकबा 0.35 है0, 1233 रकबा 0.50 है0, 1255 रकबा 0.01 है0, 552 रकबा 0.12 है0, 66 रकबा 0.08 है0,82 रकबा 0.40 है0, 83 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ की खातेदारी अनवर अली पुत्र अजलीराजा हि0 4/45, आरिफ पुत्र अख्तर हि0 1/12, किन्नो पुत्री मुन्ना हि0 1/60, जैनव पुत्री अलीराजा हि0 1/15, जुल्फकारअली पुत्र अलीराजा हि0 4/45, ताहिरअली पुत्र अख्तर हि0 1/12, नजमा पत्नि स्व0 जुम्मा हि0 1/24, नोसी पत्नि फारूक हि0 1/24, रव्वन पत्नि मकसूद हि0 1/12, राजा पुत्र मकसूद हि0 1/12, नाबालिग लादेन पुत्र फारूक संरक्षक सरपरस्त माता नोसी हि0 1/24, शहजाद पुत्र मकसूद हि0 1/12, शाजिदअली पुत्र जुम्मा हि0 1/24,संजीदा पत्नि स्व0मुन्ना हि0 1/60, सबनम पुत्री मुन्ना हि0 1/60, सरवरअली पुत्र अलीरजा हि0 4/45, सोनू अली पुत्र मुन्ना हि0 1/60, सोनी पुत्री मुन्ना हि0 1/60 जातियान मुसलमान सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1226 रकबा 1.00 है0, 1254 रकबा 0.90 है0, 1256 रकबा 0.90 है0,1212 रकबा 1.75 है0, 1232 रकबा 0.45 है0, 1167 रकबा 0.71 है0, 1224 रकबा 0.02 है0, 1231 रकबा 0.35 है0, 1233 रकबा 0.50 है0, 1255 रकबा 0.01 है0, 552 रकबा 0.12 है0, 66 रकबा 0.08 है0, 82 रकबा 0.40 है0, 83 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ के सायलान एवं गैरसायल सं01 ता 4 मुताविक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। सायलान के द्वारा बंटवारा का दावा पेश किया है। सायलान उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1226 रकबा 1.00 है0, 1254 रकबा 0.90 है0, 1256 रकबा 0.90 है0,1212 रकबा 1.75 है0, 1232 रकबा 0.45 है0, 1167 रकबा 0.71 है0, 1224 रकबा 0.02 है0, 1231 रकबा 0.35 है0, 1233 रकबा 0.50 है0, 1255 रकबा 0.01 है0, 552 रकबा 0.12 है0, 66 रकबा 0.08 है0, 82 रकबा 0.40 है0, 83 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली